न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 499 सन 2022
अनवान :-

1. रूघवीर पुत्र गोपीराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजवीर चौधरी पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
2. सुशील कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
3. मनीष कुमार पुत्र रूघवीर जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
4. सोनू पुत्री रूघवीर जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
5. विमला पुत्री गोपीराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
6. सरस्वती पुत्री गोपीराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
7. मैना पुत्री गोपीराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
8. इन्द्रा पुत्री गोपीराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
9. कान्ता कुमारी पुत्री सुनीता पुत्री गोपीराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. चरणसिंह पुत्र सुनीता पुत्री गोपीराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
11. अनिता पुत्री सुनीता पुत्री गोपीराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 06/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता सख्या 20/20 की कुल 1.2650हैक्ट एव रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 41/39 की कुल 1.0120हैक्ट व खाता सख्या 6/6 की कुल 7.0840हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी सख्या 1 ता 11 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में गोपीराम के नाम से दर्ज थी जो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का पूर्वज है गोपीराम एवं उसके पुत्र बनवारीलाल पुत्री सुमित्रा के देहान्त होने के बाद वाद भूमि विरासतन से वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 11के नाम से दर्ज हुई है ।

प्रतिवादी संख्या 4 ,वादी की बहन एव रूघवीर की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 वादी की बहन एव बनवारीलाल की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 वादी की बहन सुनीता के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 4 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में किया हुआ है । इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)

Scanned by Scanner Go

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वज गोपीराम बनवारीलाल के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 11 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 12 पैरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता सख्या 20/20 की कुल 1.2650हैक एव रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 41/39 की कुल 1.0120हैक व खाता सख्या 6/6 की कुल 7.0840हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी सख्या 1 ता 11 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में गोपीराम के नाम से दर्ज थी जो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का पूर्वज है गोपीराम एवं उसके पुत्र बनवारीलाल पुत्री सुमित्रा के देहान्त होने के वाद वाद भूमि विरास्तन से वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 11के नाम से दर्ज हुई है ।

प्रतिवादी संख्या 4 ,वादी की बहन एव रूघवीर की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 वादी की बहन एव बनवारीलाल की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 वादी की बहन सुनीता के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 4 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में किया हुआ है । इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता सख्या 20/20 की कुल 1.2650हैक एव रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 41/39 की कुल 1.0120हैक व खाता सख्या 6/6 की कुल 7.0840हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी सख्या 1 ता 11 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में गोपीराम के नाम से दर्ज थी गोपीराम एवं उसके पुत्र बनवारीलाल एव सुमित्रा के देहान्त होने पर` वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned by Scanner Go

[illegible]

[illegible]

[illegible]

अतः वादी के ... [illegible] ... प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 का नाम काश्तकार किया जाकर 1.16 बीघा भूमि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 का नाम काश्तकार किया जाकर ... [illegible] ... प्रतिवादी संख्या 3 एवं 1.05 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2 वगैरह के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 1000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे ... [illegible] ... रहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रूधवीर पुत्र गोपीराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजवीर चौधरी पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
2. सुशील कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
3. मनीष कुमार पुत्र रूधवीर जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
4. सोनू पुत्री रूधवीर जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
5. विमला पुत्री गोपीराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
6. सरस्वती पुत्री गोपीराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
7. मैना पुत्री गोपीराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
8. इन्द्रा पुत्री गोपीराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
9. कान्ता कुमारी पुत्री सुनीता पुत्री गोपीराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. चरणसिह पुत्र सुनीता पुत्री गोपीराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
11. अनिता पुत्री सुनीता पुत्री गोपीराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 499 सन 2022 निर्णय दिनांक– 06/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 20/20 की कुल 1.2650हैक्‍ भूमि में से प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के एवं रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 41/39 की कुल 1.0120हैक्‍ भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 का नाम कलमजन किया जाकर वादी के नाम दर्ज की जाती है व चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 6/6 की कुल 7.0840हैक्‍ भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 का नाम कलमजन किया जाकर 1.15 बीधा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 एव 1.05 बीधा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 6/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned by Scanner Go